

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/89

प्रकरण संख्या 20/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनदान

1. श्री पृथ्वीराज पिता श्री उदा भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
.....प्राथीगण

बनाम

1. श्री जगदीश पिता श्री बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ।
2. श्रीमती उंकारी पुत्री श्री बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
3. श्रीमती निरमा पुत्री श्री बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
4. श्रीमती लसुडी पत्नी बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ।
5. श्रीमान राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब भीण्डर उदयपुर राज0

.....अप्रार्थीगण



अधिवक्ता प्रार्थी : श्री कैलाश खरीवाल

निर्णय

दिनांक : 30.06.2022

1. वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खाता संख्या 383 नया स्थित है जिसमें आराजी नम्बर 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1078, 1079, 1083 व 1084, कुल कित्ता 17 रकबा 3.4700 हैक्टेयर स्थित है जो वादग्रस्त है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में ब्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम 1/16 हिस्सा से दर्ज है।
2. उक्त भूमि हिन्दु पारिवारिक पुस्तेनी सम्पति है जिसमें भैरा मूल पुरुष था तथा भैरा जी के 4 संताने हुई जो उदा धनराज, गोपीलाल व रूपा जी हैं तथा भैरा जी के उक्त 4 पुत्रों में उदा जी के 2 पुत्र बगदीलाल व पृथ्वीराज हुये तथा भैरा जी की मृत्यु के पहले ही भैरा जी के पुत्र उदा जी का स्वर्गवास हो गया था जिससे भैरा जी के स्वर्गवास के बाद भैरा जी की सम्पति में भैरा जी के चारों पुत्रों का 1/4 हक हिस्सा निहित होना था यानि भैरा जी के पुत्र उदा का 1/4, धनाजी का 1/4 गोपीलाल का 1/4 रूपा जी का 1/4 हक हिस्सा निहित था। भैरा जी के पुत्र उदा 1/4 हक बनता है उदा जी की मृत्यु होने पर उदा जी के 2 जायज पुत्र बगदीलाल व पृथ्वीराज

सहायक कलक्टर
भीण्डर

का उदा जी के हिस्से 1/4 हक हिस्से में से 1/8 1/8 हिस्सा बनता है। भैरा जी की मृत्यु से पहले ही उदा जी का स्वर्गवास हो गया था तथा भैरा जी के स्वर्गवास के बाद विरासत का नामान्तरणकरण हुआ जिसके नामान्तरणकरण संख्या 971 दिनांक 29.04.1989 में भैरा जी के स्थान पर गोपीलाल, रूपा, धनराज पिता भैरा का 1/4 हक हिस्से में केवल मात्र उदा जी के पुत्र बगदीलाल का ही नाम दर्ज हुआ जबकी उदा जी के 2 पुत्र बगदीलाल व पृथ्वीराज है उक्त नामान्तरणकरण में बगदीलाल का 1/8 व पृथ्वीराज का 1/8 हक हिस्सा निहित होना चाहिए था किन्तु उक्त नामान्तरणकरण में त्रुटि के कारण उदा जी की भूमि में विरासत के नामान्तरणकरण में बगदीलाल का हक हिस्सा 1/4 कर दिया जो की गलत है जबकि उदा जी का दूसरा पुत्र पृथ्वीराज आज भी जिन्दा है तथा विरासत का नामान्तरणकरण हुआ उस समय भी मौजूद था तथा मीके पर भी अपने हक हिस्से पर काबिज है तथा अपने दादा भैरा जी की जायदाद में अपना भी हक हिस्सा रखता है क्योंकि उक्त सम्पत्ति मौरूसी होकर पैतृक सम्पत्ति है। उदा जी के पहले पुत्र बगदीलाल का स्वर्गवास हो गया है जिससे बगदीलाल अपने पिछे 4 वारीस छोड़ कर गये जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है तथा उक्त चारों वारीसों के नाम दिनांक 04.03.2022 को नामान्तरणकरण संख्या 19 से बगदीलाल की सम्पत्ति में से 1/16 हक हिस्से से बराबर अमल वरामव हुए है।



3. नामान्तरण संख्या 971 दिनांक 29.04.1989 में उदा के दोनो पुत्रो बगदीलाल व पृथ्वीराज का नाम अंकन नही कर केवल मात्र बगदीलाल का नाम ही अंकन कर नामान्तरणकरण स्वीकृत कर दिया जो की गलत है जिससे भैरा जी के संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति में उदा जी का 1/4 हक हिस्सा बनता है तथा उदा जी के दोनो पुत्र बगदीलाल व पृथ्वीराज का 1/8 हक हिस्सा बराबर बराबर बनता है जिससे उक्त आधार पर वादी को 1/32 हक हिस्सा का खातेदार, काश्तकार धारित फरमाया जावे। उक्त बिनाप वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 12.02.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण बगदीलाल के विरासत का नामान्तरणकरण खुलवाने गये तब वादी को पता चला जो निरन्तर जारी है।
4. हमने पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया तथा विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जिसमें विपक्षीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर वाद वादी को स्वीकार किया तथा निवेदन किया कि वादी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है उसको वादी को दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के हिस्से में आयी 1/16 हक हिस्से को कम करते हुए प्रतिवादीगण प्रत्येक के नाम 1/32 किया जावे तथा वादी का 1/8 हक हिस्सा किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर रिकर्ड पर लिख जावे।

सहायक कलक्टर
मीरठ

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिसमें मौजा बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव, भू-निरीक्षक वृत्त बड़गांव, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 383 की आराजी संख्या 1027 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1028 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1029 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1041 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1042 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1043 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1044 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1046 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1078 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1079 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1083 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1084 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टेयर भूमि उंकारी पुत्री बगदीलाल 1/16 जाति भील, कंकूबाई पत्नि गोपीलाल हिस्सा 1/20, गीताबाई पुत्री गोपीलाल हिस्सा 1/20, जगदीशलाल पुत्र बगदीलाल हिस्सा 1/16, डालु पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/2, देवीलाल पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/40, निरमा पुत्री बगदीलाल हिस्सा 1/16, प्रेमबाई पुत्री गोपीलाल हिस्सा 1/20, माधू पुत्र धनराज हिस्सा 1/8, रूपा पुत्र भेरा हिस्सा 1/4, राजूबाई पुत्री भूरालाल हिस्सा 1/40, लसुड़ीबाई पत्नि बगदीलाल हिस्सा 1/16, लालु उर्फ लाला पुत्र धनराज हिस्सा 1/8 जाति भील के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। जबकि उक्त भूमि में उदा पुत्र भेरा के दो वारीसान बगदीलाल व पृथ्वीराज हुए जिसमें बगदीलाल की मृत्यु होने से नामांतरणकरण संख्या 971 दिनांक 29.04.1989 में उदा पुत्र भेरा के दोनो पुत्रो बगदीलाल व पृथ्वीराज का नाम अंकन नही कर केवल मात्र बगदीलाल का नाम ही अंकन कर नामांतरणकरण स्वीकृत कर दिया जो कि गलत है जबकि उदा पुत्र भेरा का पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा 1/4 बनता है तथा उदा के दोनो पुत्रो बगदीलाल और पृथ्वीराज 1/8 हक हिस्सा बराबर बराबर बनता है बगदीलाल कि मृत्यु के बाद उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हिस्सा 1/32 हक बराबर बराबर बनता है।



6. अतः मौजा बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव, भू-निरीक्षक वृत्त बड़गांव, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 383 की आराजी संख्या 1027 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1028 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1029 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.2700 हैक्टेयर,

सहायक कलेक्टर
भीण्डर

आराजी संख्या 1041 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1042 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1043 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1044 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1046 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1078 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1079 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1083 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1084 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टेयर भूमि में बगदीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 जगदीश, श्रीमती उंकारी, श्रीमती निरमा पिता बगदीलाल एवं श्रीमती लसुडी पत्नि बगदीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के स्थान पर हिस्सा 1/8 जाति भील किया जाना उचित प्रतित होता है एवं वादी श्री पृथ्वीराज पिता उदा भील का उक्त भूमि में 1/8 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

7. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव, भू-निरीक्षक वृत्त बड़गांव, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 383 की आराजी संख्या 1027 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1028 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1029 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1041 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1042 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1043 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1044 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1046 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1078 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1079 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1083 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1084 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टेयर भूमि में दर्ज बगदीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 जगदीश, श्रीमती उंकारी, श्रीमती निरमा पिता बगदीलाल एवं श्रीमती लसुडी पत्नि बगदीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के स्थान पर हिस्सा 1/8 जाति भील किया जाता है एवं वादी श्री पृथ्वीराज पिता उदा भील का उक्त भूमि में 1/8 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(रमेश सीरवी पत्रावली संख्या 207/81)
सहायक जज
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला - उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.

अनवान

1. श्री पृथ्वीराज पिता श्री उदा भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
.....प्राथीगण

बनाम

1. श्री जगदीश पिता श्री बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ।
2. श्रीमती उंकारी पुत्री श्री बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
3. श्रीमती निरमा पुत्री श्री बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
4. श्रीमती लसुडी पत्नी बगदीलाल भील निवासी- बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ।
5. श्रीमान राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब भीण्डर उदयपुर राज0
.....अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री कैलाश खरीवाल

वाद अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

GCMS प्रकरण संख्या 2022/89

प्रकरण संख्या 20/22

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री रमेश कुमार पुनाडिया RAS मिनजानिव

सहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-



1. वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बडगांव, पटवार हल्का बडगांव, भू-निरीक्षक वृत्त बडगांव, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 383 की आराजी संख्या 1027 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1028 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1029 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1033 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1034 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1035 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1036 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1041 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1042 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1043 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1044 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1046 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1078 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1079 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1083 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1084 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 3.4700 हैक्टेयर भूमि में दर्ज बगदीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 जगदीश, श्रीमती उंकारी, श्रीमती निरमा

सहायक कलक्टर
भीण्डर

पिता बगदीलाल एवं श्रीमती लसुडी पत्नि बगदीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के स्थान पर हिस्सा 1/8 जाति भील किया जाता है एवं वादी श्री पृथ्वीराज पिता उदा भील का उक्त भूमि में 1/8 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीण्डर भू प्रबंधन के बाद के नये राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

2. बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.06.2022 को जारी की गई।



30/6/22
(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)
सहायक कलक्टर
भीण्डर